

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर
क्रमांक: स0 3-5 (4) स्थान/अभियोजन/राजपत्रित/16/661-700 जयपुर, दिनांक 10.10.2016
आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 06.10.2016 की निरन्तरता में आंशिक संशोधन के पश्चात् निम्नलिखित अभियोजन अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक दृष्टिकोण से लोक हित में तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र0सं0	नाम अभियोजन अधिकारी	कहाँ से (न्यायालय का नाम)	कहाँ को (न्यायालय का नाम)	वि0वि0
1.	श्री राकेश कुमार आसेरी	सीजे (जेडी) जेएम, खाजुवाला (बीकानेर)	सीजे (जेडी) जेएम, टिब्बी (हनुमानगढ़)	श्रीमति सुशीला ढाका के स्थान पर
2.	श्रीमति सुशीला ढाका	सीजे (जेडी) जेएम, टिब्बी (हनुमानगढ़)	सीजे (जेडी) जेएम, रावतसर (हनुमानगढ़)	श्रीमति अनितारानी के स्थान पर
3.	श्रीमति अनिता रानी	सीजे (जेडी) जेएम, रावतसर (हनुमानगढ़)	एसीजे (जेडी) जेएम, हनुमानगढ़	पूर्ववर्ती स्थान पर
4.	श्री सुनील गोपाल पुरोहित	सीजे (जेडी) जेएम, पीपाड (जोधपुर)	सीजे (जेडी) जेएम, देहात जोधपुर	पूर्ववर्ती स्थान पर
5.	श्री शमशुल आबिदीन	सीजे (जेडी) जेएम, बिजोलियों (भीलवाडा)	एसीजे (जेडी) जेएम, 2 भीलवाडा	पूर्ववर्ती स्थान पर
6.	श्री जगमोहन	सीजे (जेडी) जेएम, टोडारायसिंह (टोंक)	सीजे (जेडी) जेएम, दूनी (टोंक)	श्री सिंह के स्थान पर/स्वेच्छिक
7.	श्री दिग्विजय सिंह	सीजे (जेडी) जेएम, दूनी (टोंक)	सीजे (जेडी) जेएम, टोडारायसिंह (टोंक)	श्री जगमोहन के स्थान पर/स्वेच्छिक
8.	श्री राजेश कुमार शर्मा	सीजे (जेडी) जेएम, कुचामनसिटी (नागौर)	सीजे (जेडी) जेएम, वैर (भरतपुर)	स्वेच्छिक
9.	श्री सुनील कुमार	सीजे (जेडी) जेएम, वैर (भरतपुर)	सीजे (जेडी) जेएम, कुचामनसिटी (नागौर)	स्वेच्छिक

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन उपरोक्त अधिकारीगण के कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग-1) की आज्ञा क्रमांक प0 5 (1) प्रसु/सम/अनु-1/2008 दिनांक 09 सितम्बर 2016 में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाग को अविलम्ब अवगत करावें।

716/10.10.16
(देवेन्द्र दीक्षित)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय गृह मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
3. महानिदेशक, पुलिस/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. निदेशक अभियोजन को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
5. सम्बन्धित जिला कलक्टर।
6. सम्बन्धित उप निदेशक अभियोजन/सहायक निदेशक अभियोजन।
7. सम्बन्धित अधिकारीगण।
8. रक्षित पत्रावली।

716/10.10.16
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर